कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/अंग्रेजी/स्थानांतरण/2020–21 दिनांक– 29.09.2021 के तहत् श्री अनिल कुमार व्याख्याता, अंग्रेजी का स्थानान्तरण राउमावि गांधीबड़ी, त0 भादरा, हनुमानगढ से राउमावि भाखरी, नागौर किया गया। जहां इनके द्वारा उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 08.11.2021 को कार्यग्रहण कर लिया गया है।

श्री अनिल कुमार व्याख्याता अंग्रेजी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सि.या.सं. 14206/2021 अनिल कुमार बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा याचिकार्थी को विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पारित निर्णय के परिप्रैक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान निवास स्थान से 400 कि.मी दूर होने, बच्चा छोटा होना एवं पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने सम्बंधित विपरीत पारिवारिक समस्याओं के कारण हनुमानगढ जिले में ही पदस्थापन प्रदान किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा वांछित जिले हनुमानगढ में व्याख्याता अंग्रेजी का पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 08.11.2021 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः इनके द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण एवं वांछित जिले हनुमानगढ में अंग्रेजी व्याख्याता का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(कोना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–1/एसबीसियासं. 14206/अनिल कुमार/अंग्रेजी/2021 दिनांक : 11.04.22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. संबंधित प्राधानाचार्य,
9. संबंधित कार्मिक
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर